पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : **http:/wwwpfcindia.com**						
सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862						
दिनांक 30 जून 2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण						
						(करोड़ रू. में)
क्र.सं.	विवरण	समाप्त होने वाली तिमाही			समाप्त होने वाला वर्ष	
		30-06-2015	31-03-2015	30-06-2014	31-03-2015	
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	
1)	प्रचालन से होने वाली आय					
	(क)	ब्याज से होने वाली आय	6,70,932	6,33,118	5,81,676	24,58,610
	(ख	अन्य प्रचालन आय	4,597	5,839	3,951	27,522
		प्रचालन से होने वाली कुल आय	6,75,529	6,38,957	5,85,627	24,86,132
2)	व्यय					
	(क)	ब्याज , वित्तीय और अन्य प्रभार	4,28,483	4,19,372	3,80,348	16,31,355
	(ख	कर्मचारी लाभ व्यय	2,303	1,942	2,153	8,581
	(ग)	मूल्यह्रास / ऋणमोचन	130	160	147	609
	(घ)	अन्य व्यय	15,661	691	3,127	12,312
		कुल व्यय	4,46,577	4,22,165	3,85,775	16,52,857
3)	अन्य आय और असाधारण मदों के पूर्व प्रचालन से लाभ (1-2)	2,28,952	2,16,792	1,99,852		8,33,275
4)	अन्य आय	377	3,192	551		4,548
5)	असाधारण मदों से पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (3+4)	2,29,329	2,19,984	2,00,403		8,37,823
6)	असाधारण मदें	--	--	--		--
7)	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (5+6)	2,29,329	2,19,984	2,00,403		8,37,823

8)	कर संबंधी व्यय	71,708	63,908	55,577		2,41,890
	(क)	आयकर के लिए प्रावधान	69,277	68,509	58,523	2,50,288
	(ख	आस्थगित कर देयता / (आस्थगित कर परिसंपत्ति)	2,431	(4,601)	(2,946)	(8,398)
9)	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ (7-8)	1,57,621	1,56,076	1,44,826		5,95,933
10)	असाधारण मदें (कर व्यय का निबल)	--	--	--		--
11)	अवधि के लिए निबल लाभ (9-10)	1,57,621	1,56,076	1,44,826		5,95,933
12)	सहयोगियों के लाभ / (हानि) में हिस्सेदारी	--	--	--		--
13)	अल्पसंख्यक ब्याज	--	--	--		--
14)	कर , अल्पसंख्यक ब्याज और सहयोगियों के लाभ / (हानि) में हिस्सेदारी के पश्चात निबल लाभ (11+12+13)	1,57,621	1,56,076	1,44,826		5,95,933
15)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10 रूपए है)	1,32,004	1,32,004	1,32,004		1,32,004
16)	पुनर्मूल्यांकन	--	--	--		30,89,917

	संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च को अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)					
17)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (रू. में)					
	(क)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पहले)	11.94	11.83	10.97	45.15
	(ख)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद)	11.94	11.83	10.97	45.15
भाग **II** : 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के लिए सूचना का चयन करें						
क.	शेयरधारिता का विवरण					
1		सार्वजनिक शेयरधारिता :				
		शेयरों की संख्या	35,91,14,303	35,90,85,115	35,90,85,115	35,90,85,115
		शेयरधारिता का प्रतिशत	27.205%	27.203%	27.203%	27.203%
2	प्रमोटरों और प्रमोटर समूह की शेयरधारिता					
	(क)	बंधक / रेहन में रखे गए				
		शेयरों की संख्या	--	--	--	--
		शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	--	--	--	--
		शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयरपूंजी के % के रूप में)	--	--	--	--
	(ख)	रेहन में न रखे गए				
		शेयरों की संख्या	96,09,26,401	96,09,55,589	96,09,55,589	96,09,55,589
		शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर की कुल शेयरधारिता के % के रूप में)	100%	100%	100%	100%
		शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयरपूंजी के % के रूप में)	72.795%	72.797%	72.797%	72.797%

ख	निवेशकों की शिकायतें		
	विवरण	इक्विटी शेयर	**Debt Securities**
	तिमाही की शुरूआत में लंबित	1	5
	तिमाही के दौरान प्राप्त	86	742
	तिमाही के दौरान निपटाई गई	86	742
	तिमाही के अंत में अनिर्णित शेष शिकायतें	1*	5#
		* लंबित	# Since Settled

टिप्पणियां :-

1	दिनांक 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी क्रमश: दिनांक 13.08.2015 और 14.08.2015 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इसकी सीमित मात्रा में समीक्षा की गई है।
2	उपर्युक्त भाग । के पैरा 2 (क) में उल्लिखित ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभारों में निम्नलिखित मदों पर दिनांक 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान शामिल हैं : (i) एनपीए - 4,049 लाख (संगत पिछली तिमाही में 11,613 लाख) ,(ii) मानक परिसंपत्यिां - 644 लाख (संगत पिछली तिमाही में 1,248 लाख) और (iii) पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां -20,134 लाख (संगत पिछली तिमाही में शून्य)
3	सरकार के स्वामित्व वाली एक गैर वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी को आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों से संबंधित दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। आरबीआई ने अपने दिनांक 25.07.2013 के पत्र के जरिए कंपनी को दिनांक 31.03.2016 से आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाने हेतु निर्देश दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के माध्यम से केंद्र / राज्य सरकार के निकायों के लिए दिनांक 31.03.2016 तक एक्सपोजर के संबंध में क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म से छूट प्रदान की है। कंपनी विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा अनुमोदित अपनी स्वयं की सर्वोच्च शर्तों का अनुपालन करती है, जिसमें (विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन, जो अभी प्रतीक्षित है, के अध्यधीन दिनांक 09.03.2015 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधन शामिल हैं), अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों के पुनर्गठन / पुनर्अनुसूचीयन / पुन: मोलभाव (आर/आर/आर) के लिए शर्तें शामिल हैं, जिनके तहत (i) सीओडी से पहले दो बार पुनर्गठन, (ii) केंद्र अथवा राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त ऋणों और सरकारी विभागों को दिए गए ऋणों के लिए छूट और (iii) सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के लिए पुनर्गठन की तरह त्याग किए बिना पुनर्भुगतान अनुसूची के विस्तार पर विचार न करने की व्यवस्था की गई है। आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लिए आरबीआई ने कंपनी को अपने दिनांक 03.04.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई के दिनांक 23.01.2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस. सीओ. पीडी. संख्या 367 / 03.10.01 / 2013-14 में निहित अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी है, साथ-ही-साथ डीसीसीओ, जिसके लिए किसी ऋण को पुनर्गठित किया जा सकता है, में विलंब की अधिकतम अवधि की अनुमति दी है। आरबीआई की आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लागू होने से संबंधित मामले को आरबीआई के साथ उठाया गया । इस संबंध में आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के जरिए पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना जीवनकाल विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात

	31.03.2017 तक अपनी पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने से छूट प्रदान की है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों के नए परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5% होगी और सभी उत्पादन कंपनियों के लिए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए दिनांक 31.03.2015 से 2.75% के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच जाएगी। यह प्रावधान अंकित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के अलावा किया गया है। कंपनी ने अपने दिनांक 03.07.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपने कार्यान्वयन के ढंग के बारे में सूचित किया है, जिसे कंपनी ने अपने दिनांक 27.11.2014 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादन कंपनियों को दिनांक 01.04.2015 से स्वीकृत किए गए सभी नए परियोजना ऋणों को आरबीआई की आर / आर/ आर संबंधी शर्तों के आधार पर विनियमित किया जाएगा। आरबीआई ने अपने दिनांक 04.02.2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के इस अनुरोध की जांच की जा रही है। आर/आर/आर संबंधी शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्णय लंबित होने के कारण कंपनी उपर बताए गए अनुसार कार्यान्वयन के ढंग के साथ पठित अपनी स्वयं की शर्तों का अनुपालन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी को अर्हक आर/आर/आर ऋण परिसंपत्तियों पर 2.75% के मौजूदा प्रावधान को 3.50% तक बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है और चालू तिमाही के दौरान ही 0.75% की दर से उपर्युक्त अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तदनुसार तिमाही के दौरान अर्हता प्राप्त आर/आर/आर ऋणों पर 20,134 लाख रूपए (संगत पिछली तिमाही में शून्य) का प्रावधान किया गया है (निजी क्षेत्र के लिए – 21,87,918 लाख) और सरकारी क्षेत्र के लिए - शून्य) ।
4	आरबीआई ने अपने दिनांक 30.06.2015 के पत्र, जो दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से कंपनी को सलाह दी है कि कंसोर्टियम के तहत ऋणों के बकाया स्टॉक सहित सभी ऋणों के लिए दिनांक 10.11.2014 के परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014-15 में यथाविहित परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तें लागू होंगी। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तें, जो कंसोर्टियम के तहत नए ऋणों के लिए लागू होंगी, शीघ्र ही प्रेषित की जाएंगी। तदनुसार कंपनी ने दिनांक 03.07.2015 से अपनी सर्वोच्च शर्तों में संशोधन किया है, जिससे कि दिनांक 31.03.2016 को बकाया और 5 माह या उससे अधिक की अवधि से अधिदेय ऋण परिसंपित्तयों (पट्टे वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर) को गैर निष्पादन वाली परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कंपनी ने अपने दिनांक 13.08.2015 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपनी परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तों के कार्यान्वयन के ढंग के बारे में सूचित किया है।
5	दिनांक 15. 04. 2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17. 06. 2015 के आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया था। मामले की अगली सुनवाई दिनांक 19.08.2015 को अनुसूचित है और तदनुसार स्टे को आगे विस्तारित माना जाए। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया और तिमाही के दौरान खाते में किए गए 33,999 लाख रूपए की राशि वाले एनपीए प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है।
6	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर प्रावधान दिनांक 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती वर्षों में यह कार्य प्रत्येक तिमाही में आनुपातिक आधार पर किया गया। तदनुसार दिनांक 30.06.2015 को समाप्त तिमाही के दौरान सीएसआर संबंधी 14,579 लाख रूपए की राशि (संगत पिछली तिमाही में 2,144 लाख रूपए) का प्रावधान 3 तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत निबल कर पूर्व लाभ के 2% की दर से किया गया है।
7	चालू तिमाही के दौरान क्रमश: झारखंड और बिहार राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के विकास के लिए देवघर इंफ्रा लिमिटेड और बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड नामक दो सहायक कंपनियों की स्थापना की गई है। उपर्युक्त सहायक कंपनियों में

	इक्विटी समावेशन अभी किया जाना है।
8	तिमाही के दौरान कंपनी ने एनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) (कंपनी का एक संयुक्त उद्यम) के समेकित रूप से 2,500 लाख रूपए की राशि के प्रत्येक 10 रूपए अंकित मूल्य वाले 2,50,00,000 इक्विटी शेयर के लिए आवेदन किया है। शेयर आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।
9	तिमाही के दौरान भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने विनिवेश विभाग की ओर से कार्य करते हुए मैसर्स गोल्डमैन सैच ऐसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को प्रत्येक 10 रूपए अंकित मूल्य वाले 29,188 इक्विटी शेयरों की बिक्री कर इसका विनिवेश किया है।
10	दिनांक 27 जुलाई 2015 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से कार्य करते हुए और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कंपनी में इसकी 72.80% की शेयरधारिता में से कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 5 % का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक 10 रूपए के अंकित मूल्य वाले 66,02,035 इक्विटी शेयरों की बिक्री स्टॉक एक्सचेंज व्यवस्था के जरिए प्रमोटरों द्वारा शेयरों की ''बिक्री के लिए प्रस्ताव'' के माध्यम से बेच दिए है। शेयरों की बिक्री के बाद प्रमोटरों की शेयरधारिता कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 67.80 % रह गई।
11	कंपनी ने दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करने के लिए लेखांकन मानक (एएस) – 11 – 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46(क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया है। तत्पश्चात दिनांक 30.06.2015 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 45,524 लाख रूपए (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 38,056 लाख रूपए) है ।
12	कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 – 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुसार कोई अन्य अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।
13	कर संबंधी व्यय में चालू वर्ष के दौरान कर प्रावधान और पूर्ववर्ती वर्षों में कर संबंधी व्यय/ समायोजन शामिल हैं।
14	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध / पुन: वर्गीकृत किया गया।

	एम. के. गोयल
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
तारीख : 14.08.2015	डीआईएन - 00239813